


मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
संचालनालय, वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली (FMIS)
218-एच, द्वितीय तल, वल्लभ भवन क्रमांक-1
website: www.finance.mp.gov.in

परामर्शी की नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति

म.प्र.शासन, वित्त विभाग में संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार बजटीय प्रक्रिया पूर्ण करने, नियंत्रक महालेखा परीक्षक कार्यालय द्वारा तैयार वार्षिक अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं लोक लेखा समिति के समक्ष प्रस्तुत होने वाले प्रतिवेदनों पर विभागों से समन्वय हेतु आवश्यक विषय सामग्री तैयार करने में सहयोग हेतु परामर्शी को नियुक्त करने की आवश्यकता है।

विभागीय वेबसाइट से इच्छुक उम्मीदवार, पात्रता निर्धारण की शर्तें एवं भरे जाने वाले आवेदन प्रपत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। संपूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र को दिनांक 07 अक्टूबर, 2020 अपरान्ह 03.00 बजे तक संचालक, वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल में व्यक्तिगत रूप से जमा किए जा सकते हैं।

संचालक वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली उक्तानुसार प्राप्त होने वाले आवेदनों को बिना कारण स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।


संचालक

वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली
वल्लभ भवन भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
संचालनालय, वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली (FMIS)
218-एच, द्वितीय तल, वल्लभ भवन क्रमांक-1
website: www.finance.mp.gov.in

विवरणिका

म.प्र.शासन वित्त विभाग में परामर्शी सेवाएं प्रदाय करने हेतु परामर्शी की नियुक्ति

म.प्र.शासन वित्त विभाग में परामर्शी की नियुक्ति हेतु पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

2. कार्य का विवरण:

परामर्शी द्वारा म.प्र.शासन वित्त विभाग को निम्न विषयों पर परामर्श देना होगा :

- भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से प्राप्त अंकेक्षण प्रतिवेदनों पर विभागों से वांछित कार्यवाही की विषयवस्तु एवं रूपरेखा तैयार करना .
- लोक लेखा समिति के समक्ष प्रस्तुत होने वाले अंकेक्षण प्रतिवेदन में आवश्यक कार्यवाही करने में परामर्श देना.
- बजटीय प्रक्रिया का निष्पादन।
- अन्य कार्य जो विभाग द्वारा समय-समय पर सौंपे जाएं.

3. नियुक्ति की अवधि:

परामर्शी पद पर नियुक्ति पूर्णतः अनुबंध आधार पर नियुक्ति दिनांक से एक वर्ष के लिए होगी। परस्पर सहमति से इसे वित्त विभाग के अनुमोदन से 01 वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकेगा।

4. पात्रता:

- म.प्र. अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग के ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारी जिन्होंने इस संवर्ग में न्यूनतम 10 वर्ष की निरंतर सेवा की हो एवं स्थानीय निधि संपरीक्षा के ज्येष्ठ संपरीक्षक स्तर के सेवानिवृत्त अधिकारी जिन्होंने इस संवर्ग में न्यूनतम 06 वर्ष की निरंतर सेवा की हो ।

- 01 जुलाई, 2020 को जिनकी आयु 65 वर्ष से कम हो।
- सचिवालय वित्त विभाग में कार्य का अनुभव वाले उम्मीदवारों का वरीयता दी जाएगी।

5. पारिश्रमिक:

- परामर्शी सेवाओं की अवधि के दौरान एकमुश्त राशि रुपये 30,000/- (रुपये तीस हजार केवल) का भुगतान प्रतिमाह संबंधित के बैंक खाते में किया जाएगा. इसके अतिरिक्त अन्य कोई वेतन या भत्ते देय नहीं होंगे।
- पारिश्रमिक का भुगतान भारतीय मुद्रा रुपये में नियमानुसार कर कटौत उपरांत किया जावेगा.
- परामर्शी अवधि के दौरान एक केलेण्डर वर्ष में अधिकतम 13 आकस्मिक अवकाश एवं 03 ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। केलेण्डर वर्ष में उपयोग नहीं किए गए अवकाश को आगामी केलेण्डर वर्ष में अग्रणीत नहीं किया जाएगा। इन अवकाशों के अतिरिक्त कार्य पर अनुपस्थिति को अवैतनिक अवकाश मान्य किया जाएगा।

6. चयन प्रक्रिया:

- एक चयन समिति का गठन किया जाएगा।
- उक्त चयन समिति प्राप्त होने वाले समस्त आवेदनों की सूची तैयार कर पात्रता पूरी करने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार करेगी। जिसे वित्त विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।
- साक्षात्कार हेतु चयनित उम्मीदवारों को साक्षात्कार में उपस्थित होने की सूचना ई-मेल के माध्यम से दी जाएगी। साक्षात्कार हेतु यात्रा करने हेतु कोई यात्रा व्यय/दैनिक भत्ते देय नहीं होंगे।
- चयनित उम्मीदवार द्वारा चयन आदेश जारी होने के 15 दिवस की अवधि में उपस्थिति दर्ज करानी होगी।
- म.प्र.शासन वित्त विभाग समस्त या किसी एक आवेदन को स्वीकार/अस्वीकार करने के समस्त अधिकार बिना कारण बताए सुरक्षित रखता है।

7. आवेदन कैसे करें:

- विधिवत रूप से भरे आवेदन पत्र दिनांक 07 अक्टूबर, 2020 अपरान्ह 03.00 बजे तक या उससे पहले तक संचालनालय, वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली (FMIS), वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल को (परिशिष्ट-ए के अनुसार) प्रस्तुत किए जा सकेंगे।

निर्धारित तिथि और समय के बाद प्राप्त आवेदन को मान्य नहीं किया जाएगा।

- केवल हार्ड कॉपी या ईमेल के माध्यम से प्राप्त आवेदन नियुक्ति के लिए मान्य किए जाएंगे। फैंक्स या टैलेक्स द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को विचार में नहीं लिया जाएगा।
- आवेदक आवेदन के कवर पर निम्नलिखित अक्षरों को मोटे अक्षरों में लिखेगा।

"वित्त विभाग को परामर्शी सहायता प्रदान करने के लिए आवेदन।"

- इच्छुक आवेदक निम्नलिखित पते पर अपना आवेदन भेज सकते हैं:

सेवा में,
संचालक,
वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली,
218-एच, दूसरी मंजिल,
मंत्रालय -1,
वल्लभ भवन, भोपाल
पिन 462004
ईमेल पता: mpfmis@yahoo.com
संपर्क: श्री अरविंद बोरकर (9425335482)

आवेदक का विवरण

पासपोर्ट साईज
फोटो चिपकाएं

1. नाम :
2. स्थाई पता:
3. वर्तमान पता:
4. दूरभाष संपर्क क्रमांक:
5. ई-मेल पता :
6. जन्मतिथि :
7. राष्ट्रियता :
8. शैक्षणिक योग्यता :
(नवीनतम योग्यता से प्रारंभ करते हुए)

सरल क्रमांक	उत्तीर्ण परीक्षा/ डिग्री/डिप्लोमा विवरण	शैक्षणिक संस्थान का नाम	कोर्स पूर्ण करने का वर्ष
1.			
2.			
3.			

9. रोजगार संबंधी अभिलेख :

(अंतिम सेवा की स्थिति , कुल सेवाओं का विवरण)

सरल क्रमांक	संस्थान/विभाग का नाम	सेवा की अवधि		किस पद पर कार्यरत रहे
		से	तक	
1.				
2.				
3.				

10. सभी प्रासंगिक कार्यों की सूची, जिस पर आवेदक ने काम किया है।

- असाइनमेंट का नाम
- नियोक्ता / विभाग का नाम
- असाइनमेंट की प्रकृति / संक्षिप्त विवरण

प्रमाणीकरण:

1) मैं इस असाइनमेंट के लिए परामर्शी के रूप में काम करने को तैयार हूँ और मैं आवश्यकतानुसार सौंपे गए दायित्वों की पूरी अवधि के लिए उपलब्ध रहूँगा।

2) मैं, अधोहस्ताक्षरी, इस बात को प्रमाणित करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के हिसाब से सही है।

स्थान: -----

(आवेदक का नाम और नाम)

टिप्पणियाँ:

1. आवेदन के प्रत्येक पृष्ठ को आवेदक द्वारा स्याही में हस्ताक्षरित किया जाएगा।
2. योग्यता और अनुभव के स्व-सत्यापित सहायक दस्तावेज परिशिष्ट-"ए" के साथ प्रस्तुत किए जाने चाहिए। ऐसे सहायक दस्तावेजों के अभाव में आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।
3. यदि कोई आवेदक अपनी योग्यता, अनुभव या अन्य विवरणों के बारे में गलत जानकारी देता है, तो वह 3 (तीन) वर्षों की अवधि के लिए वित्त विभाग के किसी भी आगे के कार्य के लिए पात्र नहीं होगा तथा आवेदक का परामर्शी हेतु वर्तमान आवेदन/नियुक्ति भी रद्द की जाएगी।